Regarding justice to victims of Nellie Massacre in Assam

श्री अब्दुल खालेक **(**बारपेटा**) :** माननीय सभापति महोदय, दुनिया के 21 देशों में कम्पल्सरी वोटिंग की व्यवस्था है। हमारे देश भारत में भी कम्पल्सरी वोटिंग की चर्चा हो रही है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और सरकार के साथ ही, सारी मशीनरी इसके लिए कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे देश में वर्ष 1983 में, मैं असम राज्य से आता हूँ, वहाँ जब लोग वोट डालने गये थे, तब नेल्ली मैसेकर में कत्लेआम हुआ था। केवल नेल्ली में सरकारी परिसंख्या के अनुसार 2,191 कत्ल हुए थे। दूसरे स्थानों पर भी, जैसे गांवपुर में, दोरांग जिले के चाउनखुवा, वर्तमान बोगाईगांव जिले में भी कत्लेआम हुआ था। यह अफसोस की बात है, वर्ष 1985 में असम समझौता हुआ, असम में शांति हुई और असम आन्दोलन में जो लोग शहीद हुए थे, उनको शहीद का दर्जा मिला, लेकिन जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालने गये थे, जो लोग संविधान को बचाने के लिए वोट डालने गये थे, उन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है।

इसके लिए तिवारी कमीशन बना था, लेकिन तिवारी कमीशन की रिपोर्ट कभी लाइट में नहीं आई, वह रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। वर्तमान भारत सरकार के एक मंत्री ने इसी हाउस में नेल्ली मैसेकर का जिक्र भी किया था। इसलिए मैं होम मिनिस्टर और केन्द्र सरकार से गुज़ारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने नेल्ली और दूसरे जगहों पर अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वर्ष 1983 में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही, एक नेल्ली मेमोरियल का निर्माण होना चाहिए।